गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र. २५ के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)–495009
✆ : 07752260342
वेबसाईट : www.ggu.ac.in

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act, 2009, No. 25 of 2009)
Koni, Bilaspur (C.G.) – 495009
✆ : 07752260342,
Website : www.ggu.ac.in

Accredited By NAAC Grade A++

क्र. 574 / अका. / शोध / ईसीई / 2025 बिलासपुर, दिनांक 21 JUL 2025

प्रति,

Suraj Sahu (शोधार्थी)
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी. विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ0ग0)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनिमय, 2022 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक दिनांक 24–03–2025 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु विभाग– इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी. विभाग, विद्यापीठ– अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:–

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
"Study of Cattle Disease Diagnosis and Prediction Using Deep Learning Techniques" "स्टडी ऑफ कैटल डिजीज डायग्नोसिस एंड प्रिडिक्शन यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स"		**Dr. Anita Khanna, Associate Professor, Dept. of Electronics & Communication Engineering,GGV, Bilaspur (C.G.)**	
शोध केन्द्र	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन तिथि	नामांकन क्रमांक
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी. विभाग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	235163504	24/03/2025	GGV/23/12003

1. आप यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2022 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लेखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक / RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपका शोध–पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व 03 प्रतियों में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

क्रमशः..1

2. यह पंजीयन प्रवेश तिथि से छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा प्रवेश तिथि से छः वर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छः वर्ष उपरान्त स्वतः निरस्त हो जावेगा। शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम --2023 के नियमन R-04 के अधीन रहेगा।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 10,000/-- (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोधग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोधग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जावेगा।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम--2023 के अधीन होगा। अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है, कि विश्वविद्यालय शोध विनियम--2023 के प्रावधानों का भी भली-भांति अध्ययन कर लेवें।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव (अका.)

क्रमांक 578/अका./शोध/ईसीई/2025 बिलासपुर, दिनांक 21 JUL 2025

प्रतिलिपि

1. शोध निर्देशक-- **Dr. Anita Khanna, Associate Professor,** इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी. विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष/शोध केन्द्र-- इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी. विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. समन्वयक, आईटी सेल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर वेब पटल पर अपलोड किये गये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती।

सहा. कुलसचिव (अका.)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)